संख्या-45/2024/1607/18-2-2024-30(26)/2003

प्रेषक

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषयः- उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) में संशोधन / परिवर्द्धन- प्रथम संशोधन।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के अन्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग, परीक्षण सुविधायें एवं कम्पयूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-2/2019/093/18-2-2019-30(26)/2003, दिनांक 15-2-2019 द्वारा 'उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) का प्रख्यापन किया गया है। उक्त योजना में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन/परिवर्द्धन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) नवीन प्रस्तर-3.1.1

प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) के CAQM मानको के अनुरूप विनिर्माण इकाईयों में प्रयुक्त जनरेटर के गैस आधारित परिवर्तन ड्यूल फ्यूल मोड़ 100 प्रतिशत अथवा रिट्रो फिटेड इमीशन कण्ट्रोल डिवाइसेज (ECDs) अथवा पूर्णरूपेण एलपीजी / नेचुरल गैस / बॉयोगैस / प्रोपेन / ब्यूटेन फ्यूल आदि अथवा मानको के अनुरूप नये जनरेटर्स के क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह सहायता उस इकाई विशेष को उत्पादन सम्बन्धी नई मशीनों हेतु किये गये तकनीकी उन्नयन (यदि कोई हो) के अतिरिक्त उपलब्ध कराई जायेगी।

उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का स्वरूप सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों हेतु **CAQM** मानकों के अनुरूप जनरेटर के क्रय अथवा तकनीक परिवर्तन के लिये आने वाली लागत (वास्तविक व्यय) के अनुसार निम्नानुसार होगा:-

जेनरेटर क्रय परिवर्तन की लागत (लाख रूपये में)

	0-10 लाख	10-40 लाख	40 लाख व उससे अधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सूक्ष्म विनिर्माण इकाईयां	50 प्रतिशत या रू0 5.00 लाख (जो कम हो)	40 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख (जो कम हो)	25 प्रतिशत या रू0 20.00 लाख (जो कम हो)
लघु विनिर्माण इकाईयां	40 प्रतिशत या रू0 5.00 लाख (जो कम हो)	30 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख(जो कम हो)	20 प्रतिशत या रू0 20.00 लाख(जो कम हो)

(ख) चूंकि उक्त योजना दिनांक 15-2-2019 को लागू की गयी थी एवं लागू होने से 05 वर्ष की अवधि दिनांक 14-2-2024 को पूर्ण हो गयी है, अतएव शासनादेश के प्राविधान के अनुरूप इस योजना की आवश्यकता के दृष्टिगत योजना को आगामी 05 वर्षों अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक बढ़ाया जाता है।

(ग) उपर्युक्त संशोधन के प्राविधान वर्तमान में प्रचलित ''उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन)'' पर प्रवृत्त होंगे।

2- उक्त परिवर्द्धन/संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2/2019/093/18-2-2019-30(26)/2003, दिनांक 15-2-2019 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्णित प्राविधान/नियम व शर्तें यथावत रहेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तदिशा-निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, एच0बी0टी0आई0/लघु उद्योग सेवा संस्थान/मेमडाइटेक्स, कानपुर।
4- निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0/यू0पी0एफ0सी0/यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आई0एल0, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय प्रबन्धक, रा य उत्पादकता परिषद, कानपुर।
8- महाप्रबन्धक, सिडबी, लखनऊ।
9- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अनुभाग।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

प्रांजल यादव
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।